तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11306/2025/जयपुर** **प्रभाती देवी बनाम मन्नी देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री राजेश सिंह, सदस्य

उपस्थित

श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक, अभिभाषक प्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 11–12–2025

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–6–2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुनी।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि प्रार्थीया/वादिया द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर (द्वितीय) के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत् वाके ग्राम छबर का बास तहसील आमेर स्थित विवादित आराजीयात बाबत् एक वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15–4–2025 द्वारा प्रार्थीया/वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–4–2025 से व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष एक अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 3–6–2025 द्वारा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। उनका कथन है कि प्रार्थीया द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व पति देरामदास द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात में से कुछ हिस्से का अविधिक रूप से अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 10 के पक्ष में बेचान कर दिया गया था, जिस बाबत् वर्तमान प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि विपक्षीगण द्वारा उक्त आराजीयात में से शेष हिस्से को भी अन्यत्र रहन बय मुन्तलि करने पर आमादा है। राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीया द्वारा उनके समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो विचाराधीन है एवं उसमें पक्षकारान के हक व अधिकार तय होने", जिस कारण वाद बाहुल्यता को रोकने तथा वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11306/2025/जयपुर** **प्रभाती देवी बनाम मन्नी देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवश्यक एवं न्यायोचित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–6–2025 निरस्त किया जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2019 पृष्ठ 1059, आर.आर.टी. 2016 पृष्ठ 709, आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 750 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। 4– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 5– हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत् वाके ग्राम छबर का बास तहसील आमेर स्थित विवादित आराजीयात बाबत् एक वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15–4–2025 द्वारा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–4–2025 से व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 3–6–2025 द्वारा यह आदेश पारित किया कि – ''अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों का परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकर पश्चात् किया जाना न्यायसंगत समझा जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन कर युक्तियुक्त आदेश पारित किया जावेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करे। अपीलार्थी शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर बाद जांच जारी हो। पत्रावली तामील पूर्ण होने एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर दिनांक 30–6–2025 को पेश हो।'' उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है। इसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अन्तरिम आदेश है, जो निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं आता है। माननीय राजस्व मण्डल के ''जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम'' निगरानी संख्या 9867/2012/ नागौर के प्रकरण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11306/2025/जयपुर** **प्रभाती देवी बनाम मन्नी देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में माननीय पूर्णपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकार के अन्तरिम आदेश की निगरानी राजस्व मण्डल में पोषणीय नहीं है। अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। 6— अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की जाती है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक रूप से गुणावगुण पर 2 माह की अवधि के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें। न्यायहित में तब तक उभयपक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 2—1—2026 को उपस्थित हों । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। **(राजेश सिंह)** **सदस्य**	